



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2792]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2016/अग्रहायण 7, 1938

No. 2792]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2016/AGRAHAYANA 7, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2016

का.आ. 3568(अ).—केन्द्रीय सरकार, रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 (2004 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 दिसम्बर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 3/2/2011-आईएफ-II]

आर. एन. दूबे, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2016

S.O. 3568(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Repeal Act, 2003 (1 of 2004), the Central Government hereby appoints the 1st day of December, 2016, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 3/2/2011-IF-II]

R. N. DUBEY, Economic Adviser

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2016

का.आ. 3569(अ).—केन्द्रीय सरकार, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 (2004 का 1) की धारा 4 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 4 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए तारीख 01 दिसम्बर, 2016 को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 3/2/2011-आईएफ-II]

आर. एन. दूबे, आर्थिक सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2016

S.O. 3569(E).— In exercise of powers conferred by clause (b) of section 4 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Repeal Act, 2003 (1 of 2004), the Central Government hereby notifies the 1st day of December, 2016, as the date for the purposes of clause (b) of section 4 of the said Act.

[F. No. 3/2/2011-IF-II]

R. N. DUBEY, Economic Adviser